न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 208 सन 2019

अनवान :-

1. हेतराम पुत्र चेतराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बगतावरी पुत्री चेतराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कलावती पुत्री चेतराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. जीवणराम 4. पालाराम पुत्र गुडडी पत्नी बिसानाराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर
4. सिलोचना देवी 6 बिदामी देवी पुत्रिया गुडडी पत्नी बिसानाराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

8. गोपीराम पुत्र चेतराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
9. मनीराम पुत्र चेतराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 16/8/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 60/52 के कुल खसरा 2.56805हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एव रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 78/41 ,70 के कुल किता 17 की 4.0860 हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि चेतराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जो वादी के दादा के देहान्त होने के बाद विरासतन से वादी के पिता चेतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई वादी के पिता चेतराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8, 9 एवं एक पुत्री गुडडी है जिसका देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 है इसप्रकार चेतराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं उसकी पुत्री गडडी के वारिसान है।

चेतराम के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ,4 ता 6 जो वादी की बहने एवं बहन गुडडी के वारिसान है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 8 , 9 के हकों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 , 9 को कई दफा कहॉ की वादी के हकों की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहॉ तो प्रतिवादी कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु बाद में ईन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 , 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनका देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 है हम प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो वादी की बहने एवं बहन के वारिस है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 8 ,9 ने निवेदन किया की वादी के वाद के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की

Scanned with CamScanner

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 60/52 के कुल खसरा 2.56805हैक भूमि मे से 1/3 हिस्सा भूमि एव रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 78/41 ,70 के कुल किता 17 की 4.0860 हैक मे से 1/3 हिस्सा भूमि चेतराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जो वादी के दादा के देहान्त होने के बाद विरासतन से वादी के पिता चेतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई वादी के पिता चेतराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 ,9 एवं एक पुत्री गुडडी है जिसका देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 है इसप्रकार चेतराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं उसकी पुत्री गुडडी के वारिसान है।

चेतराम के नाम से दर्ज भूमि मे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ,4 ता 6 जो वादी की बहने एव बहन गुडडी के वारिसान है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के पक्ष मे किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है वादी के वाद के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा पेरोकार राज को भी किसी प्रकार का ऐतराज नही है ना ही राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी होती है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस मे अपने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान में वादी के पिता चेतराम के नाम से दर्ज है जो वर्तमान जमाबन्दीयो से साबित है। वादी के पिता चेतराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 ,9 एवं एक लडकी गुडडी है जो मृत्यू/वारिस प्रमाण पत्र से पूर्णत्या साबित है इसीप्रकार चेतराम की पुत्री गुडडी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 है जो प्रस्तुत मृत्यू/वारिस प्रमाण पत्र से साबित है। अर्थात चेतराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 होना साबित है।

वादी के कथन है कि वाद भूमि जो चेतराम के नाम से दर्ज है चेतराम के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो वादी की बहने एवं बहन गुडडी के वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके पूर्वज चेतराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि मे उनका जो हक हिस्सा है उसका त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।एवं पेरोकार राज के द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज नही करने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 बी बारानी के खाता संख्या 60/52 की कुल 2.56805हैक भूमि मे से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 14 जेएसएन के खाता संख्या 78/41 ,70 की कुल 4.0860हैक भूमि मे से 1/3 हिस्सा भूमि जो चेतराम के नाम से दर्ज है मे चेतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ,9 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/8/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. हेतराम पुत्र चेतराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

2. बगतावरी पुत्री चेतराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. कलावती पुत्री चेतराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. जीवणराम 4. पालाराम पुत्र गुडडी पत्नी बिसानाराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर
5. सिलोचना देवी 6 बिदामी देवी पुत्रिया गुडडी पत्नी बिसानाराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

8. गोपीराम पुत्र चेतराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
9. मनीराम पुत्र चेतराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील नोहर ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 208 सन 2019 निर्णय दिनांक– 16/8/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा 5 बी बारानी के खाता संख्या 60/52 की कुल 2.56805हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 14 जेएसएन के खाता संख्या 78/41 ,70 की कुल 4.0860हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि जो चेतराम के नाम से दर्ज है में चेतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ,9 तीनों बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/8/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner